तार - पर्यावरण

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष/फैक्स- (05612) 230836

उ.प्र.प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद – 283 203.

सन्दर्भ संख्या 84/NOC-S.15/15, दिनांक 22-4-15

सेवा में,

मै0 डी0के0 फिलिंग स्टेशन द्वारा
श्री जीवेन्द्र सिंह,
पुत्र स्व0 श्री होरीलाल सिंह,
निवासी– एटा रोड़ बुर्ज, शिकोहाबाद,
जनपद–फिरोजाबाद।

लघु उद्योग हेतु
5 वर्ष तक/ट्रायल संचालन तक वैद्य
ट्रायल संचालन से पूर्व
सहमति प्राप्त करना अनिवार्य

विषयः गाटा सं0 821/1, 822/2 व 820, मौजा–कंथरी, मैनपुरी रोड़, तहसील शिकोहाबाद व जनपद–फिरोजाबाद पर एस्सार ऑयल लि0 का रिटेल आउटलेट को स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से दिनांक 09.04.15 एवं डाक के माध्यम से दिनांक 10.04.15 जो इस कार्यालय में प्राप्त है, का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) स्थलः गाटा सं0 821/1, 822/2 व 820, मौजा–कंथरी, मैनपुरी रोड़, तहसील शिकोहाबाद, जनपद–फिरोजाबाद

(ख) उत्पादनः मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल का भण्डारण एवं वितरण (एम0एस0 की स्टोरेज क्षमता – 20 कि0ली0, एच0एस0डी0 की स्टोरेज क्षमता – 30 कि0ली0)

(ग) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः शून्य

(घ) प्रयुक्त ईधनः डी0जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. स्टैण्डवाई विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 12.0 केवीए क्षमता के एक नग डी0जी0 सेट से जनित फ्लू गैसीय उत्सर्जन हेतु चिमनी भवन छत से 1.5 मी0 ऊपर स्थापित की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जायेगा।

3. डी0जी0 सेट से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपयुक्त क्षमता का एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जायेगा। डी0जी0 सेट का संचालन एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु की गयी व्यवस्था का रख–रखाव उपयुक्त प्रकार से किया जायेगा, जिससे कि ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप हो।

4. रिटेल आउटलेट में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका आदि की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

क्रमशः–..........2...

5. रिटेल आउटलेट में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जायेगा।
6. घरेलू उत्प्रवाह जिसकी मात्रा 500 ली0 प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जायेगा।
7. रिटेल आउटलेट के चारों तरफ कम से कम 10 मीटर चौड़ी उँचे, घने, प्रदूषणरोधी किस्म के वृक्षों की हरित पट्टिका विकसित की जाये तथा प्रस्तावित भूमि के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग जिसमें हरित पट्टिका भी सम्मिलित होगी वृक्षारोपण किया जायेगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी किया कलाप जनहित के प्रतिकूल नही किया जायेगा।
9. ठोस अपशिष्ट का उचित निस्तारण इस प्रकार किया जाएगा जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
10. रिटेल आउटलेट परिसर में वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा प्रस्ताव एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा।
11. वाहनों की लोडिगं एवं अनलोडिगं एवं आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि आस–पास का यातायात प्रभावित न हो।
12. सम्बन्धित विभागों वन विभाग, अग्निशमन विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय आदि से नियमानुसार अनुज्ञा / क्लीयरेन्स / एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त की प्रति दो माह में कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
13. विस्फोटक नियन्त्रक विभाग (Explosive Department) से लाइसेंस प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। विस्फोटक नियन्त्रक विभाग की गाइड लाइन के अनुरूप सुरक्षा उपाय भी स्थापित किया जायेगा।
14. प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियमों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एवं वितरण से उत्पन्न खतरों से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग एवं विस्फोटक नियन्त्रक विभाग की गाइड लाइन्स के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) कर दिया जायेगा। शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

भवदीय,

22/4/15

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक– उपरोक्त।
प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी